

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2023/पीसीपीएनडीटी/2024/ दिनांक : 03/03/2024

संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं
संबंधित नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान ।

विषय:-सोनोग्राफी कोर्स 2023 (पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 एवं नियम-2014) में उपस्थिति प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:-चैननमैन, नीट पीजी काउन्सिलिंग-2023 एवं प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक से ईमेल पर प्राप्त सूचना दिनांक 14.03.2024 के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के साथ 6 माह सोनोग्राफी कोर्स (पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 एवं नियम-2014) के तहत दिनांक 14.03.2024 को काउन्सिलिंग आयोजित कर अभ्यर्थियों को नीट पीजी-2023 की योग्यता सूची के अनुसार मेरिट क्रम प्राथमिकता के आधार पर उनके नाम सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज आवंटन किया गया है। जो कि निम्नानुसार है:-

S.NO.	CANDIDATE NAME (DR.)	MERIT NO.	DATE OF BIRTH	COLLEGE
1	SAVITA MEENA	2137	15-10-1995	GMC, KOTA
2	SUJATA	1470	04-03-1997	SNMC, JODHPUR
3	MUKESH DHAKA	671	24-06-1979	SNMC, JODHPUR
4	SHIVRAJ PRAJAPAT	740	07-12-1993	RNT MC, UDAIPUR
5	DEVENDAR SINGH	1788	17-01-1994	RNT MC, UDAIPUR
6	ARVIND SINGH	1713	15-07-1990	RNT MC, UDAIPUR

उक्त कोर्स में अध्ययन करने हेतु कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा तथा इनका वेतन उनके मूल पदस्थापन स्थान से देय होगा।


जो चिकित्सक राज्यसेवा से निलम्बित/लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं/यूटीबी/पीपीपी मोड/प्रोबेशन काल पर कार्यरत हैं को उक्त कोर्स हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे। वर्तमान में निलम्बित या लम्बी अवधि से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों के सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करें।

अतः राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के बिन्दु संख्या 04 की अनुपालना में लेख है कि आपके अधीन पदस्थापित नियमित चिकित्सकों जिनका चयन पीसीपीएनडीटी कोर्स 2023 में हुआ है (तालिकानुसार), उनमें से उन चिकित्सकों को कार्यमुक्त किया जावे जिन्होंने स्त्री एवं प्रसूति रोग में पीजी नहीं की है। नियमानुसार चिकित्सकों से दो वर्ष की राज्यसेवा का बन्ध पत्र (15 लाख रुपये) प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज हेतु कार्यमुक्त करे एवं कार्यमुक्ति की पालना रिपोर्ट निदेशालय की मेल आईडी pgcellgaz2022@gmail.com एवं atc.gaz@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करे।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2023/पीसीपीएनडीटी/2024/89 दिनांक : 15/03/2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, कोटा/जोधपुर/उदयपुर ।
4. निदेशक (ईएसआई/मोबाईल सर्जिकल यूनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर ।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी अनुभाग, राजपत्रित, मुख्यालय ।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र मय सूची विभागीय वेब-साईट पर अप-लोड कर सम्बन्धित को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर